।। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

पत्रांक 3004/12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 3/12/ 2015।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषयः– **जनपद चमोली में महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी0 1 से राजकीय इण्टर कालेज से तलवाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.708 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी का पत्रांक 2478/FP/UK/ROAD/10924/2015. दिनांक 23 फरवरी 2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको व इस कार्यालय को सम्बोधित है के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग को शासनादेश संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/105/2015/एफ0सी0/2452 दिनांक 22 फरवरी 2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें लगायी गयी शर्तों के अनुरूप शर्तों की अनुपालन आख्या/ऑनलाईन चालान को अपलोड़ कर आप द्वारा निम्नानुसार धनराशि जमा करायी जानी है एवं लगायी गयी शर्तों का अनुपालन किया जाना है–

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालन में पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10 गुना वृक्षों अर्थात 600 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख– रखाव हेतु रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख रूपये) की धनराशि जमा की जानी है ।

2- शर्त संख्या–02 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) दिनांक 05–02–2009 के तहत् दिये गये आदेश के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 4,65,156.00 (चार लाख पेंसठ हजार एक सौ छप्पन रूपये) जमा की जानी है।

3- शर्त संख्या–03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों में जो बढ़ोतरी होगी उसे जमा किये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

4- शर्त संख्या–04 के अनुसार शर्तों की अनुपालन आख्या तथा समस्त देयकों के भुगतान कर चालान ऑनलाईन अपलोड़ किया जायेगा।

5- सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर आपके द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी मांग आपको पृथक से प्रेषित की जायेगी।

अतः आप शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं उपरोक्त धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन आख्या उच्च स्तर को विधिवत स्वीकृत जारी करने हेतु प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।